न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद सं0–24/09–10 जगदीश प्रसाद साह बनाम राज्य सरकार

25/2013

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 6.11.12 के आलोक में जगदीश प्रसाद साह ज0वि0प्र0वि0, पिता–स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद साह, ग्राम–पीरनगरा, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि प्रखड आपूर्ति पदाकिारी, बेलदौर के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार माह मार्च, 07 से मई, 08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान (09) वार एवं अन्त्योदय खाद्यान का (06) वार उठाव किया गया और उपभोक्ताओं के लिखित व्यान के अनुसार बी0पी0एल0 खाद्यान 03(तीन) वार एवं अन्त्योदय खाद्यान (02) वार वितरण किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी और बिक्रेता द्वारा कारण पृच्छा के साथ भंडार एवं बिक्री–सह–वितरण पंजी समर्पित किया गया। और उनके कारण पृच्छा पर बिना विचार किये एवं सत्यापन के अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 904 दिनांक 18.08.2009 द्वारा रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उक्त माह के उनके द्वारा उठाव किये गये खाद्यान को निर्धारित दर पर एवं निर्धारित वजन के अनुसार निगरानी समिति की देखरेख में वितरण किया गया है। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को केवल कल्पना और अनुमान के आधार पर रद्द किया गया है। उनके द्वारा समर्पित स्टॉक रजिस्टर सह वितरण रजिस्टर में प्रविष्टियों को देखा नहीं किया गया और उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो कानून एवं नियम के विरूद्ध है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर, सुनवाई कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 18.08.09 द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 422 दिनांक 10.07.08 के आलोक में बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत पीरनगरा पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री जगदीश प्रसाद साह के अनुज्ञप्ति संख्या 30बी0/07 के दूकान की जॉच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	

बेलदौर से करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिक्रेता द्वारा मार्च, 07 से मई, 08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान 09 (नौ) माह का उठाकर 03 (तीन) वार वितरण किया गया तथा अन्त्योदय खाद्यान 06 (छः) माह का उठाव कर 02 (दो) वार वितरण किया गया तथा भंडार पंजी, वितरण पंजी मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में बिक्रेता से स्पष्टीकरण मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर पचायत में गठित निगरानी समिति के संयोजक मुखिया तथा पंचायत समिति से वितरण करने का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया। बिक्रेता द्वारा कुछ वितरण कूपन दिखाया गया और कुछ बिना कूपन का वितरण दिखाया गया और पंजी में सही रूप संधारित नहीं था। इस आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 06मु0 दिनांक 08.09.08 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 30बी0/07 को निलंबित कर दिया गया और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही पाते हुए बिक्रेता श्री जगदीश प्रसाद साह, पीनरगरा पंचायत प्रखंड–बेलदौर का अनुज्ञप्ति संख्या–30बी/2007 को दिनांक 18.08.2009 द्वारा रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 06.10.2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया, फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए।

अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है तथा अन्य कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि बिक्रेता द्वारा मार्च, 07 से मई ,08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान 09 (नौ) माह का उठाव कर 03 (तीन) वार वितरण करने तथा अन्त्योदय खाद्यान 06 (छः) माह उठाव कर 02 (दो) वार वितरण करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है, जो सम्यक तथा सही है।

अपीलार्थी द्वारा अपने कथन में समर्थन में कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके द्वारा उठाव किये गये खाद्यान को निगरानी समिति की देखरेख में वितरण किया गया है।

अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से भी यह प्रमाणित होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है और इस सम्बन्ध में उन्हें और कुछ नहीं कहना है तथा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 904/दिनांक 18.08.09 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया

की क्रम और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 434 /विधि, दिनांक 13/11/2017 प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 16/11/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 13/11/17	